बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं0–3 / प्र0–विविध–14 / 2016............ पटना, दिनांक.........

क्षेत्रीय कार्यालयों के बजट निर्माण तथा वेतन एवं मानदेय इत्यादि के भुगतान में आरही समस्याओं के निदान के संबंध में सुझाव देने हेतु एक विभागीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:–

I. श्री अरूण कुमार प्रसाद, विशेष सचिव– अध्यक्ष।
II. श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त परिवहन आयुक्त (अपर सचिव के पद पर प्रोन्नत)–सचिव।
III. श्री राजेश चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया–सदस्य।
IV. श्री आशुतोष कुमार वर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी, आरा–सदस्य।
V. श्री सुनील प्रकाश तिवारी, मोटर यान निरीक्षक, दरभंगा–सदस्य।
VI. श्री श्याम नन्दन प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, दालकोला चेकपोस्ट, पूर्णिया–सदस्य।

2. यह समिति निम्न बिन्दुओं पर अपना सुझाव देगी:–

(क) अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों यथा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों, सुरक्षा गार्डों, होम गार्डों इत्यादि की आवश्यकता आधारित संख्या बलों का कार्यालयवार निर्धारण,

(ख) प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारियों यथा, प्रवर्तन अवर निरीक्षकों / प्रवर्तन निरीक्षकों / प्रवर्तन पदाधिकारियों के वेतनादि तथा वाहन इंधन मद की राशि के भुगतान की प्रक्रिया,

(ग) अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों की समस्याओं के संबंध में कोई अन्य सुझाव (जिसे वो आवश्यक समझते हों)।

3. यह समिति उक्त बिन्दुओं पर मंतव्य सहित प्रतिवेदन एक महीने के भीतर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगी।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3 / प्र0–विविध–14 / 2016..........5468 पटना, दिनांक 9/9/1

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव / समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों / सदस्यों / जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा / जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

F:\Chandan Jee..Docx
385